

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

निबंधित

श्री शरद कुमार,
S/O Shri Surendra Kumar,
A-65, Ashoka Palace,
Exhibition Road, Patna,
Bihar, Pin Code-800001

पटना, दिनांक- 25/11/2025

विषय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में।
प्रसंग सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक-18420 दिनांक- 25.09.2025 एवं विभागीय पत्रांक-7276 दिनांक-31.10.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपका बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु समाज कल्याण विभाग आवंटित किया गया है। नियुक्ति के पूर्व चरित्र तथा पूर्व वृत्त के जाँच के साथ ही शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, क्रीमीलेयर, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जाँच विभागीय स्तर से की जानी है। इस हेतु विभागीय पत्रांक-7276 दिनांक-31.10.2025 द्वारा सत्यापन की तिथि-18.11.2025 निर्धारित की गयी थी, परंतु उक्त निर्धारित तिथि को आप अनुपस्थित रहें हैं।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पुनः अंतिम रूप से दिनांक-02.12.2025 के पूर्वा 11:00 बजे समय निर्धारित की जाती है। आपको निदेशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि को समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना में उपस्थित होने के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा इसकी छायाप्रति दो-दो स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे :-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
2. इंटरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
3. अन्य उच्च स्तर योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर नियोजित हो तो नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)।
7. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
8. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में)। विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
9. पासपोर्ट साईज का चार फोटो।
10. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केश दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
12. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

निबंधित

श्री शरद कुमार,
S/O Shri Surendra Kumar,
A-65, Ashoka Palace,
Exhibition Road, Patna,
Bihar, Pin Code-800001

पटना, दिनांक- 31.10.2025

विषय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक-18420 दिनांक- 25.09.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपका बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु समाज कल्याण विभाग आवंटित किया गया है। नियुक्ति के पूर्व चरित्र तथा पूर्व वृत्त के जाँच के साथ ही शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, क्रीमीलेयर, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जाँच विभागीय स्तर से की जानी है। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा इसकी छायाप्रति दो-दो स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे :-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
2. इंटरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
3. अन्य उच्च स्तर योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर नियोजित हो तो नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)।
7. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
8. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में)। विहित प्रपत्र विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध है।
9. पासपोर्ट साईज का चार फोटो।
10. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केश दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध है।
11. असेनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
12. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए दिनांक-18.11.2025 के पूर्वां 10:30 बजे समय निर्धारित की जाती है।

अतएव उक्त आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित सूचना विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
31.10.25
विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।